

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 69]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 फरवरी 2021—माघ 29, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2021

क्र. एफ 3-4-2018-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्वारा श्री योगेन्द्र कुमार द्विवेदी, (सेवानिवृत्त) डिप्टी कलेक्टर को कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक 14 मार्च 2021 से दिनांक 26 जुलाई 2023 तक के लिए संभागीय सतर्कता समिति, रीवा संभाग, रीवा में सदस्य के पद पर नियुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीषा सेंतिया, उपसचिव,